



कार्यालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर
क्रमांक पं.17() न्याय / कोरोना / 2020 / 4115

दिनांक 30 / 08 / 2020

भीम
नारायण

:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता ::

मुझे यह अवगत कराया गया है कि जिला सवाईमाधोपुर के उपखण्ड क्षेत्र सवाई माधोपुर नगर परिषद/ग्रामीण क्षेत्र में स्थित परलीपार शहर, कुस्तला, हनुमान वेदजी की गली शहर, हरसहाय कटला शहर, रेगर मोहल्ला, अन्सारी मोहल्ला व ठींगला सवाई माधोपुर में व्यक्ति को कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित (पॉजिटिव) पाये जाने से उपखण्ड क्षेत्र सवाई माधोपुर में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की सम्भावना होकर नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उक्त परिस्थितियों में मेरा समाधान हो गया है एवं मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ कि ऐसी परिस्थिति में प्रथम दृष्टया सवाई माधोपुर जिले में उपखण्ड क्षेत्र सवाई माधोपुर में नगर परिषद क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र में स्थित परलीपार शहर, कुस्तला, हनुमान वेदजी की गली शहर, हरसहाय कटला शहर, रेगर मोहल्ला, अन्सारी मोहल्ला व ठींगला सवाई माधोपुर, में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोकप्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अतः मैं कपिल शर्मा उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 2107 दिनांक 18.03.2020 व संशोधित आदेश क्रमांक 2204 दिनांक 22.03.2020 व 2447 दिनांक 31.03.2020 व 4397 दिनांक 01.06.2020 तथा 7609 दिनांक 01.07.2020 की निरन्तरता में एवं अनलॉक-2 के आदेश क्रमांक 7585 दिनांक 01.07.2020 में अंकित बिन्दू संख्या "A" के क्रम में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने के दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत उपखण्ड क्षेत्र सवाई माधोपुर में स्थित हनुमान, गोपाल, पाना देवी, नवीन, अल्का, गरीस, नफीस एवं विजय सिंह के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए उपखण्ड क्षेत्र सवाई माधोपुर में स्थित निम्न परिक्षेत्र—

- परलीपार शहर, सवाई माधोपुर
1. श्रीमती हनुमान प्रसाद पुत्र श्री घासीलाल माली आयु 77 निवासी परलीपार शहर सवाई माधोपुर मो0न0 9462622685 मरीज के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए मरीज के मकान व पप्पूलाल माली के मकान तक
, कुस्तला सवाई माधोपुर
 2. गोपाल पुत्र सूरजमल माली निवासी --कुस्तला सवाई माधोपुर मो0न0 7611793377 आयु 52 निवासी कुस्तला आरामशीन के पास सवाई माधोपुर मरीज के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए कोटा रोड हाईवे तक
हनुमान वेद जी की गली शहर, सवाई माधोपुर
 3. श्रीमती पाना देवी पत्नी रामस्वारूप रेगर मो0न0 9694395355 निवासी हनुमान वेद जी की गली शहर सवाई माधोपुर मरीज के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए मैन शहर सडक सकील के मकान तक गली को
हरसहाय कटला शहर, सवाई माधोपुर
 4. श्री नवीन पुत्र सीताराम, अल्का पत्नी सीताराम छीपा मो0न0 9887613260 निवासी हरसहाय कटला शहर सवाई माधोपुर मरीज के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुये रामनिवास लक्ष्मीनारायण मकान के पूर्वी काने खण्डार रोड तथा बाबूलाल ,जगदीश क मकान के पश्चिमी कोने तक
रेगर मोहल्ला शहर ,सवाई माधोपुर
 5. गरीश पुत्र रमेश चन्द सलोदिया, मो0न0 8005589875 निवासी रामदेव मन्दिर के पीछे रेगर मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर मरीज के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए मन्दिर के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक अन्सारी मोहल्ला शहर, सवाई माधोपुर
 6. श्री नफीस पुत्र अब्दुल मो0न0 8426000967 निवासी अन्सारी मोहल्ला शहर, सवाई माधोपुर मरीज के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए मरीज का मकान पहाड की तलहटी में है अतः मकान की पैरा, फेंरी तक
ठींगला, सवाई माधोपुर
 7. विजय सिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत मो0न0 9928362200 निवासी सरकारी पोलोटेक्निक कॉलेज ठींगला, सवाई माधोपुर मरीज के मकान को केन्द्र बिन्दु मानते हुए मरीज के मकान की तीन-तीन मीटर की सीमा व मकान के रोड वाले हिस्से तक को **(Containment Zone)** घोषित कर उक्त क्षेत्र में


तत्काल प्रभाव से **जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (CURFEW)** निषेधाज्ञा लागू करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि-

1. कोरोना वायरस के संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आगमन नहीं करेंगे। इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर (लॉकिंग ऐरिया-जनसाधारण की सख्ती से आगमन-निर्गमन) प्रतिबंधित किया जाता है।
2. उपरोक्त क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां एवं रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।
3. उपरोक्त क्षेत्र में अत्यन्त आवश्यक सेवाओं (किराना, खाद्य सामग्री, दवाईयां, दूध, सब्जी, गैस की दुकाने, जनरल स्टोर एवं पेट्रोल पम्प) के संचालन के लिये चिन्हित होम डिलीवरी के पास मान्य होंगे।
4. उपरोक्त क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति यथा पानी, बिजली आदि की आपूर्ति नियमित रूप से संचालित रहेगी तथा दैनिक खाद्य वस्तुओ यथा फल-सब्जी, किराना, दवाईयों की आपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा होम-डिलीवरी की जावेगी।
5. उक्त वर्णित जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में पूर्व जारी समस्त प्रकार की स्वीकृतियां/अनुमति-पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते है।
6. उक्त क्षेत्र में आवश्यक सेवाओ के लिये कर्पयू-पास इस कार्यालय द्वारा जारी किया जावेगा। समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
7. आवश्यक व्यवस्थाएं बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी/ कर्मचारियों के आवगमन के साधन उपयोग के लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे साथ ही उपखण्ड क्षेत्र की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद विभाग, नगर परिषद्, विकास अधिकारी, द्वारा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित विशेष अनुमति पत्र प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
8. उक्त क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोइन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्कीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और किसी भी व्यक्ति का प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलना पूर्णतया निषेध रहेगा।
9. यह प्रतिबन्ध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, परन्तु उन्हें चिकित्सकीय लाभ हेतु निकटवर्ती चिकित्सा केन्द्र से प्राथमिक उपचार लिया जावेगा।
10. उक्त क्षेत्र के समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन, दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा, किन्तु प्रबन्धन द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पास प्राप्त धार्मिक स्थल की साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु अधिकतम 2 व्यक्ति को उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए न्यूनतम अवधि हेतु जा सकते है, जिसकी सूचना संबंधित पुलिस थाना के स्तर पर संधारित होगी।
11. कोई भी व्यक्ति या संस्था नोवल कोरोना वाइरस के संक्रमण के संबंध में दुष्प्रचार व तथ्यहीन समाचारो यथा Face Book, Twitter, Whats App, Youtube अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं करेगा। इसके उल्लंघन पर आई.टी.एक्ट के अन्तर्गत भी विधिक कार्यवाही की जावेगी।
12. समस्त प्रकार के निजी भारी एवं हल्के मोटर व्हीकल्स का आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। खाद्य सामग्री, दवाईयां, सब्जियों, दूध, गैस इत्यादि अतिआवश्यक सेवाओं के परिवहन हेतु लोडिंग वाहन उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पास प्राप्त कर कर्पयू क्षेत्र में आ-जा सकते है।
13. उपरोक्त क्षेत्र में अतिआवश्यक सेवाओं (पानी, बिजली, किराना, खाद्य सामग्री, दवाईयां, दूध, फल-सब्जी, गैस की दुकाने, जनरल स्टोर एवं पेट्रोल पम्प) की आपूर्ति रसद विभाग, जलदाय विभाग, कृषि विभाग, डेयरी विभाग, नगर परिषद्, विकास अधिकारी, की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
14. मैं उक्त क्षेत्र में सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के सु-संगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जावेगा।
15. उक्त जारी निषेधाज्ञा की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्व जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट का होगा।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील करवाया जाना संभव नहीं है। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सवाईमाधोपुर जिले के सम्पूर्ण संदर्भित क्षेत्रों में मुख्य-मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर ध्वनि प्रसारण यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 30.08.2020 को रात्रि 07.00 बजे से दिनांक 12.09.2020 तक प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया है।


(कपिल शर्मा)
उप जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, गृह एवं न्याय विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय, पीएचईडी विभाग जयपुर एवं संभाग प्रभारी भरतपुर।
4. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर।
5. श्रीमान् जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर।
6. महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर।
7. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
8. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक..... राजस्थान।
9. अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/गंगापुर सिटी।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर।
11. पुलिस उपाधीक्षक सवाईमाधोपुर को संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा उक्त आदेश की सख्ती से पालना कराने हेतु।
12. प्रभारी अधिकारी वाररूम/कन्ट्रोल रूम कलेक्ट्रेट सवाईमाधोपुर।
13. तहसीलदार सवाई माधोपुर।
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर।
15. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सवाई माधोपुर।
16. आयुक्त नगर परिषद सवाई माधोपुर को दी जाकर लेख है कि उक्त 0 मोबिलिटी क्षेत्र को बेरिकेटिंग से सील करवाकर पालना रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
17. विकास अधिकारी पंचायत समिति, समा/खण्डार को दी जाकर लेख है कि उक्त 0 मोबिलिटी क्षेत्र को बेरिकेटिंग से सील करवाकर पालना रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।
18. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सवाई माधोपुर को समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त का व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
19. सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत को पालनार्थ।

उप जिला मजिस्ट्रेट
सवाईमाधोपुर